डॉ.सौरभ गर्ग, भा.प्र.से.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.

सत्यमेव जयते

संदेश

प्रिय साथियों,

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

भाषा हमारे विचारों के आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। भारत विभिन्न भाषाओं और बोलियों का एक अद्भुत समागम है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं के आपसी सोहार्द और अनेकता में एकता की प्रतीक है। किसी भी राष्ट्र, समाज और सभ्यता की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है और भाषा केवल संवाद की ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहक भी होती है। भाषा की इसी महत्ता को दृष्टिगत करते हुए 14 सितंबर, 1949 के दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को **'हिंदी दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

हिंदी की व्यापकता और सार्थकता को आज विश्व ने भी स्वीकार किया है। मौजूदा दौर में हिंदी का वैश्विक प्रसार हुआ है और यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। नए-नए शब्दों को समाहित करने का गुण, बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का उत्साह इसकी जीवंतता का प्रमाण है। हिंदी की इस सामासिक एवं समावेशी प्रकृति के कारण ही संविधान निमार्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हमें यह दायित्व सौंपा है कि हम हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत के निवासियों को आधार नंबर के जरिए एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराने, नामांकन एवं अद्यतन सेवा प्रदान करने, आधार से जुड़ी सेवाओं के उपयोग में निवासियों की पहचान सत्यापित करने, भारत सरकार की योजनाओं आदि को लागू करने से संबंधित समनुदेशित कार्यों के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा अधिदेशित कार्यों के साथ-साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीतियों, आदेशों और योजनाओं का कार्यान्वयन भी प्रभावी रूप से कर रहा है। यह हर्ष का विषय है कि प्राधिकरण में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में महत्वपूर्ण डिजीटल पहल भी की गई हैं, जिनमें वेबसाइट, ऐप्प एम-आधार एवं क्यूआर स्कैनर पर हिंदी सहित भारत की अन्य सभी प्रमुख भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है तथा निवासी पोर्टल, चैटबोट, वेबमेल और ई-आफिस और सोशल मीडिया पर भी हिंदी का प्रयोग सहजता से किया जा रहा है।

संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन पर आधारित है। यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। आइए, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक और सतत् प्रयासों से हम राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त करेंगे और प्राधिकरण में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को नए आयाम देंगे।

शुभकामनाओं सहित

सौरभ गर्ग

(डॉ.सौरभ गर्ग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नई दिल्ली।
14 सितंबर, 2022
www.uidai.gov.in